उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–7
संख्या मंत्री 531 / 9–7–13 / 30(ज0) / 2013
लखनऊः दिनांक–19 दिसम्बर, 2013

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा (6) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री राज्यपाल श्रीमती अनिता सिंह राणा, निवासी 324 / 6 जागृति विहार , जनपद मेरठ को नगर निगम मेरठ में पार्षद के रूप में निर्दिष्ट कर नामित करते हैं ।

आज्ञा से,

सी0बी0पालीवाल
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या– मंत्री 531(1) / 9–7–13 / 30(ज0) / 2013 तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 के खण्ड–ख में दिनांक–19 दिसम्बर 2013 में प्रकाशित कराकर उसकी 20 मुद्रित प्रतियॉ नगर विकास अनुभाग–7 बापू भवन, आठवां तल , उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या–531(2)/9–7–13–30(ज0)/2013, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0, लखनऊ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी (पंजीकृत डाक द्वारा)।
5. सम्बन्धित नगर निगम के मा0 महापौर।
6. सम्बन्धित मा0 पार्षद (पंजीकृत डाक द्वारा)।
7. सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
8. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय साइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

19.11.2013

(श्रीप्रकाश सिंह)

विशेष सचिव